य उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
न अधिकारी:–श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
नम्बर:–228/2018 प्रार्थना पत्र
ालदास पिता रामचन्द्रदास दादूपंथी, उम्र बालिग निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा
ान) -----प्रार्थी

बनाम

धन्नादास पिता रामचन्द्र दास दादूपंथी, उम्र बालिग निवासी रावले के पास, सुवाणा तहसील व
ना भीलवाड़ा (राजस्थान)
पन्ना पिता देवा मैला(जाट), उम्र बालिग निवासी मोतीखाना के पास, सुवाणा तहसील व जिला
वाड़ा (राजस्थान)
स्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
-----विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक:–29.3.2019

:: नि र्ण य ::

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान स्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सुवाणा हल्का सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 2081 रकबा 5 बीघा रकबा 5 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। ाण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 28.8.2018 को पंजीबद्व किया जाकर सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 व 2 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किये गये । विपक्षीगण संख्या 1 व 2 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 22.10.2018 को एक तरफा कार्यवाही ाने का आदेश पारित किया गया। विपक्षी संख्या 3 का सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुआ। जिसे पत्रावली किये गये। विपक्षी संख्या 3 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 25.3.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का पारित किया गया।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 हत स्वीकार किया जाकर ग्राम सुवाणा पटवार हल्का सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 2081 रकबा 5 बीघा 1991 रकबा 5 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने नये भू–अभिलेख निरीक्षक, सुवाणा को 550/–रूपये (पॉच सौ पचास रूपये) कमिश्नर फीस पर नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये लदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 29.3.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner